निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या 522/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, शाखा कार्यालय–यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाड़िया टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. किशोरी लाल उर्फ किशोर कुमार शर्मा,
   निवासी–प्लाट नम्बर 53 ए, रेल्वे स्ट्रेशन रोड़, चौमू जयपुर, (राजस्थान) एवं
   प्लाट नम्बर 53 ए, इन्द्रा कॉलोनी, स्कीम नम्बर 2, बड़ा सर्किल के पास, रेल्वे स्टेशन रोड़, चौमू, जयपुर, राजस्थान
2. सरिता देवी शर्मा
   निवासी–प्लाट नम्बर 53 ए, रेल्वे स्ट्रेशन रोड़, चौमू जयपुर, (राजस्थान) एवं
   प्लाट नम्बर 53 ए, इन्द्रा कॉलोनी, स्कीम नम्बर 2, बड़ा सर्किल के पास, रेल्वे स्टेशन रोड़, चौमू, जयपुर, राजस्थान–
3. नन्द किशोर शर्मा,
4. 225 श्री राम नगर, करणी फाटक झोटवाड़ा, जयपुर राजस्थान,
   प्लाट नम्बर 53 ए, इन्दिरा कॉलोनी स्कीम नम्बर 2 बड़ा सर्किल के पास, रेलवे स्ट्रेशन रोड़, चौमू जयपुर, राजस्थान एवं
   प्लाट नम्बर 53 ए, इन्द्रा कॉलोनी, स्कीम नम्बर 2, बड़ा सर्किल के पास, रेल्वे स्टेशन रोड़, चौमू, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

उपस्थितः–

1.श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

2. श्री कैलाश चन्द सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

आदेश दिनांक 04.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.03.2017 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी किशोरी लाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 53 ए, इन्द्रा कॉलोनी, स्कीम नम्बर 2, बडा सर्किल के पास, रेल्वे स्टेशन रोड़, चौमू, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 145 वर्गगज को बन्धक रख कर 10,92,893/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06/02/2019 को रजिस्टर्ड़ नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द सैनी ने उपस्थित होकर वकलातनामा पेश कर राशि जमा कराने हेतु अवसर चाहा।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्जावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18, बिसम्बर, 2015 कम संख्या 23 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 10,92,893/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए वकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 10,78,526/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

06/02/2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी किशोरी लाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 53 ए, इन्द्रा कॉलोनी, स्कीम नम्बर 2, बडा सर्किल के पास, रेल्वे स्टेशन रोड, चौमू, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 145 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

10. आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

4/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर